		मे जारी हुए।
28.6.18	पत्रावली पेश हुई। ग्राम सराना की जमाबंदी संवत् 2065-68 व खाता सं. नया-पुराना 312-585 कुल खसरा 5 किता 7.08.00 बिघा धुकल वल्द नन्दा, कुमा बैवा नन्दा हिस्सा 1/2 घिसा वल्द चौथू, बरजी बैवा चौथू हि० 1/2 कौम चमार के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 152 दिनांक 9.6.06 में हरदेव को ना. औलाद फौत बताकर नामान्तरकरण खोला गया है। हरदेव बैरवा की मृत्यु दिनांक 15-03-82 को हुई है तथा हरदेव बैरवा की पत्नी सुगनी की मृत्यु 10.3.96 को हुई है। सरपंच ग्राम पंचायत सराना द्वारा जारी सजरा प्रमाणपत्र जो दिनांक 15.2.2012 का है में हरदेव पुत्र रामा बैरवा के दो उत्तराधिकारी बताये गये हैं जिसमे पत्नी सुगनी फौत, पुत्री तथा मदन पुत्र बताया गया है। यही मदन वादी है। अत: नामान्तरकरण सं. 1052 दिनांक 9.6.06 में हरदेव को ना. औलाद फौत बताया जाना गलत पाया गया है। अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा वादी को वाद वर्णित आराजी में 1/3 हि० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी का नाम प्रतिवादीगण के साथ जोड़ा जाता है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 उनके वारीसान, मजदूर एंव मित्रगण हितैषी एंव अन्य परिवारजन, हाली, सिरी इत्यादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि	

Scanned by CamScanner

वे वाद वर्णित आराजियात जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा सिहित है उससे वादी को जबरन बेदखल नही करे। न ही वादी के हिस्से को किसी अन्य को रहन, बेचान, अन्तरण करे। व राजस्व रिकोर्ड में भी कोई परिवर्तन नही करे। न ही वादी को बेदखल करे।

सदस्य
लोक अदालत
बरवाड़

सदस्य
लोक अदालत
बरवाड़

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner